आदेश अन्तर्गत धारा 144 द0प्र0सं0

प्राचार्य,राजकीय महाविद्यालय सितारगंज के द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या 135 दिनांक 19.08.2023 द्वारा अवगत कराया गया कि राजकीय महाविद्यालय सितारगंज सिसौना कैम्पस में कुमॉऊ विश्वविद्यालय तथा उत्तखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं दिनॉक 05. सितम्बर,2023 तक संचालित हो रही है।

प्राचार्य,राजकीय महाविद्यालय सितारगंज द्वारा अपने उक्त पत्र में राजकीय महाविद्यालय सितारगंज सिसौना कैम्पस में कुमॉऊ विश्वविद्यालय तथा उत्तखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं दिनॉक 05 सितम्बर,2023 तक होने वाली परीक्षाओं की शुचिता व गोपनीयता के दृष्टिगत आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः मैं तुषार सैनी, परगना मजिस्ट्रेट, सितारगंज, इस बात से संतुष्ठ हूँ कि उक्त परिक्षाओं को शान्तिपूर्ण ढंग से कराये जाने हेतु परीक्षा केन्द्र के आस–पास धारा 144 लगाया जाना आवश्यक है। अतः राजकीय महाविद्यालय सितारगंज (परीक्षा केन्द्र) पर धारा 144 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित करता हूँ, जो दिनॉक 21.08.2023 से दिनॉक 05.09.2023 को परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी होंगे। उक्त परीक्षा केन्द्र के आस–पास 100 मीटर की परिधि में धारा 144 द0प्र0सं0 संहिता रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर उसके बाहर भी द0प्र0सं0 की धारा 144 को लागू किया जा सकता है।

01. परीक्षा केन्द्र से 100 मीटर की परिधि में पॉच या पॉच से अधिक व्यक्तियों को एक साथ एकत्रित होने पर निषिद्ध किया जाता है। परीक्षार्थी एवं परीक्षा संचालक इस प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। कोई भी संगठन/समूह परीक्षा केन्द्रों की 500 मीटर परिधिं के अन्दर किसी प्रकार की सार्वजनिक सभा जूलूस जश्न के रूप में कोई उत्सव रैली आदि नहीं निकालेंगे तथा कोई भी व्यक्ति भड़काऊ एस.एम.एस. का प्रयोग नहीं करेंगे। यह प्रतिबन्ध समस्त परीक्षा केन्द्रों एवं समीपवर्ती स्थानीय बाजारों पर लागू होगा।
02. परीक्षा के दौरान कोई भी व्यक्ति सब डिवीजन सितारगंज की सीमान्तर्गत बिना अनुमति आग्नेयास्त्र, लाठी, डण्डा, चाकू, हाकी स्टीक, खुखरी, तलवार, कोई तेज धारा वाला शस्त्र, पटाखे, बम व अन्य ज्वलन्शील पदार्थ किसी प्रकार का बारूद, या बिना बारूद वाला शस्त्र जिसका प्रयोग हिंसा के लिए या जन साधारण को डराने/धमकाने के लिए या कोई अपराध करने के लिए जैसे असामाजिक/अवांछनीय अपराध/कृत्य भी सम्मिलित हैं को लेकर नहीं चलेगा। इस आदेश के अधीन वे व्यक्ति जो वृद्धावस्था अपंगता के कारण सहारे के लिए लाठी रखते हैं, उनको छूट होगी तथा सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था हेतु तैनात पुलिसकर्मी/होमगार्ड के जवानों पर भी छूट होगी।
03. कोई भी व्यक्ति बिना अनुज्ञा के एसिड एवं ज्वलनशील पदार्थ का भण्डारण एवं परिवहन नहीं करेगा।कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक सम्पत्ति एवं राजकीय सम्पत्ति को किसी प्रकार के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से क्षति नहीं पहुंचायेगा।
04. कोई भी व्यक्ति हिंसा के प्रयोग हेतु परीक्षा केन्द्र के पास ईंट, पत्थर, रोड़ी आदि एकत्रित नहीं करेगा और पटाखा तथा बारूद से बने किसी वस्तु का प्रयोग सड़क, गली एवं चौराहों पर नहीं करेगा। सब डिविजन क्षेत्रान्तर्गत परीक्षा केन्द्रों के पास किसी प्रकार की नारेबाजी, उत्तेजनात्मक भाषण करना एवं किसी प्रकार के भ्रामक साहित्य के प्रचार–प्रसार आदि का भी प्रतिषेध किया जाता है। जिससे परिशान्ति भंग होने का खतरा हो या परीक्षा में व्यवधान हो। जूलूस पर प्रतिबन्ध शव यात्रा, बारातियों व धार्मिक अनुष्ठानों पर एकत्रित हुये व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। परीक्षा केन्द्रों के प्रतिबन्धित क्षेत्र की परिधि में परीक्षा अवधि में बारातियों द्वारा किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तार यंत्र/बाजे इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

CamScanner
Scanned with CamScanner

'नशा मुक्त हो सितारगंज' रैली का किया गया आयोजन

स्वतंत्र चेतना

सितारगंज(उधम सिंह नगर)। राजकीय महाविद्यालय के एंटी ड्रग सेल द्वारा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सुभाष चंद्र वर्मा के नेतृत्व में एंटी ड्रग प्रभारी तथा सदस्यों व महाविद्यालय के छात्र- छात्राओं द्वारा सितारगंज क्षेत्र में 'नशा मुक्त हो सितारगंज' रैली निकाली गई। रैली का प्रारंभ महाविद्यालय से किया गया और सितारगंज क्षेत्र के सिसौना क्षेत्र में नशा मुक्ति रैली ने भ्रमण किया। नशा मुक्ति रैली अपने हाथों में नशा मुक्ति पर बने स्लोगन पकड़े हुए थी। जिससे लोगों का ध्यान उस और आकर्षित हुआ और आसपास के लोगों ने भी रैली में बढ़-चढ़कर सहभागिता की।

महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं में नशा मुक्ति रैली को लेकर जोश देखा गया। रैली के दौरान आसपास से भांग के पौधे भी उखाड़े गए और लोगों से भी भांग के पौधे आसपास ना उगने देने की गुजारिश की गई।

महाविद्यालय के आसपास जारी रहेगा धारा 144

सितारगंज(उधम सिंह नगर)। कुमाऊं विश्वविद्यालय एवं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाओं के दौरान राजकीय महाविद्यालय सिसौना के 100 मीटर के परिधि में धारा 144 लागू रहेगा। इस आशय उप जिलाधिकारी इन ने आदेश जारी किया। कुमाऊं विश्वविद्यालय एवं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं राजकीय महाविद्यालय सिसौना में आरंभ हुआ। परीक्षाएं 5 सितंबर तक जारी रहेगा। परीक्षाओं की सुचिता व गोपनीय के दृष्टिगत, महाविद्यालय के प्राचार्य ने उप जिलाधिकारी से आवश्यक कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया था। जिसके तहत उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने, महाविद्यालय के 100 मीटर की परिधि में, धारा 144 लागू कर दी है। यह आदेश 5 सितंबर को परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी होंगे। धारा 144 प्रभावी रहने तक परीक्षा केंद्र से सौ मीटर की परिधि में, पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों को एक साथ एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। परंतु यह नियम परीक्षार्थियों पर लागू नहीं रहेगा।

महाविद्यालय के आसपास लागू रहेगी निषेधाज्ञा

सितारगंज। महाविद्यालय सितारगंज में कुमाऊं विश्वविद्यालय एवं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाओं के मद्देनजर परगना मजिस्ट्रेट ने विद्यालय के आसपास निषेधाज्ञा लागू की।

राजकीय महाविद्यालय सितारगंज, सिसौना में कुमाऊं विश्वविद्यालय एवं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं आरंभ हो गई है। जोकि 5 सितंबर 2023 तक संचालित होगी। परीक्षाओं की सुचिता व गोपनीय के दृष्टिगत, महाविद्यालय के प्राचार्य ने परगना मजिस्ट्रेट से आवश्यक कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया था। जिसके दृष्टिगत परगना मजिस्ट्रेट तुषार सैनी ने परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाने के बाबत महाविद्यालय के 100 मीटर की परिधि में, धारा 144 लागू कर दी है। जो की 5 सितंबर को परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी होंगे। धारा 144 प्रभावी रहने तक परीक्षा केंद्र से 100 मीटर की परिधि में, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को एक साथ एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध एवं निषिद्ध है। विद्यालय के 500 मीटर परिधि के अंदर की किसी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जुलूस, जश्न के रूप में कोई भी उत्सव या रैली निकालना पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा ।

05. परीक्षा केन्द्र के आस–पास मार्गो पर, पैदल मार्गो पर न तो कोई व्यक्ति रोड़ा अटकायेगा न ही ऐसा करने का प्रयास करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों तथा उसकी सम्पत्ति को क्षति नहीं पहुंचायेगा और न ही ऐसा करने का प्रयास करेगा।

06. कोई भी व्यक्ति डयूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी के लिखित/मौखिक आदेशों का न तो उल्लंघन करेगा और न ही ऐसा करने का प्रयास करेगा।

चूंकि वर्तमान में परिस्थितियां तात्कालिक एवं आपतकालिन स्वरूप की और इतना सम्भव नहीं है कि किसी व्यक्ति एवं व्यक्तियों के समूह को नोटिस दिया जा सकें। अतः य आदेश जनहित में एक पक्षीय पारित किया जा रहा है।

यह आदेश दिनॉक 21.08.2023 से दिनॉक 05.09.2023 या परीक्षाओं के समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा, बशर्त कि इससे पूर्व इसको निरस्त न कर दिया जायें।

इस आदेश की प्रतियां सर्व संबंधित को तत्काल प्रेषित की जायें व नोटिस बोर्ड पर चश्पा करते हुये डुगडुगी पिटवाकर विस्तृत प्रचार–प्रसार करवाया जायें।

यह आदेश दिनांक 21.08.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से निर्गत किया ज रहा है।

दिनांकः 21.08.2023

(तुषार सैनी)
परगना मजिस्ट्रेट, सितारगंज।

कार्यालय परगना मजिस्ट्रेट, सितारगंज जिला उधम सिंह नगर।

पत्रांक 817 /एस0टी0/शान्ति सुरक्षा/ 2022 दिनांक : 21.08.2023

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01.जिला मजिस्ट्रेट महोदय उधम सिंह नगर।
02.वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय उधम सिंह नगर।
03.तहसीलदार सितारगंज
03.प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सितारगंज
04.स्थानीय समाचार पत्र अमर उजाला/दैनिक जागरण/दैनिक हिन्दुस्तान।
05.कार्यालय नोटिस बोर्ड।

परगना मजिस्ट्रेट, सितारगंज।

CamScanner
Scanned with CamScanner